



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226230
CG-DL-E-30032021-226230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1272]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1272]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1376(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मिनी सचिवालय, D.C. कॉम्प्लेक्स, किश्तवार (NH-244) के कि.मी. 65.15 से 111.086 जम्मू और कश्मीर राज्य तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-244 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला मजिस्ट्रेट / डिप्टी उपायुक्त / जिला विकास आयुक्त, किश्तवार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-244 के कि.मी. 65.15 से 111.086 तक	जम्मू और कश्मीर	किश्तवार	किश्तवार	1 धरबदन

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/Khellani-Chatroo/Kishtwar/LA/R/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1376(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 65.15 to 111.086 of Mini Secretariat DC Complex, Kishtwar (NH-244) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-244 in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate/ Deputy Commissioner / District Development Commissioner, Kishtwar	65.15KM To 111.086KM	JAMMU & KASHMIR	KISHTWAR	Kishtwar	1 Dharbadan

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/Khellani-Chatroo/Kishtwar/LA/R/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director